संख्या-48/2026/432के-2/22-3-2025-17(1309)/23

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 10 मार्च, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी चन्द्रशेखर उर्फ शेखर पुत्र श्री शौनाथ, निवासी जनपद-बिजनौर की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-27511/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-04-08-2023, दिनांक 04.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी चन्द्रशेखर उर्फ शेखर (बंदी संख्या-48748) पुत्र श्री शौनाथ, जो हीरापुर गोकल उर्फ गढ़वावाला, थाना-अफजलगढ़, जनपद-बिजनौर का निवासी है। बंदी द्वारा जमीन के बंटवारे के विवाद को लेकर दिनांक 03-11-2010 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से वार कर शौनाथ नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-173/2011 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 201, 506 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, बिजनौर के आदेश दिनांक 09-11-2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील निर्णीत करते हुए मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 20-09-2013 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बंदी द्वारा मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास की सजा के सापेक्ष दिनांक 04-05-2023 तक 11 वर्ष, 11 माह, 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 15 वर्ष, 09 माह, 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार बंदी की 38 वर्ष की आयु, आजीवन कारावास के सापेक्ष 11 वर्ष, 11 माह, 12 दिन की भोगी गई अपरिहार सजा, बंदी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक व जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी चन्द्रशेखर उर्फ शेखर (बंदी संख्या-48748) पुत्र श्री शौनाथ, निवासी जनपद-बिजनौर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव

संख्या-432के-2/22-3-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारगार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (किमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-4/2021 पालिसी स्ट्रेटजी फार ग्राण्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेशों के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।